

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,

सेक्टर-डी०, अलीगंज लखनऊ ।

कार्मिक अनुभाग -3 लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अन्तर्गत व्यय के लिए उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के पत्रांक-11147Voll.-VIII/744 दिनांक- के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ को सहायक अनुदान/राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए आय- व्ययक के अन्तर्गत उ०प्र० विनियोग अधिनियम-2017 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-2 सन,2017) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू० 3,90,84,000/- (रू०- तीन करोड़ नब्बे लाख चौरासी हजार मात्र)का 5/12 भाग अर्थात् रू०-1,77,76,250/ (रू०- एक करोड़ सत्तर लाख हिछहतर हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 5/2017/985/47-का-3-2017-24/15/2016 दिनांक 11-05-2017 के लिए आय-व्ययक के अन्तर्गत अवशेष द्वारा अवमुक्त किया गया है। श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए आय-व्ययक के अन्तर्गत अवशेष 07 माह (01सितम्बर, 2017 से मार्च,2018) हेतु अनुदान संख्या- 19 के लेखाशीर्षक -2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं -आयोजनेत्तर -003-प्रशिक्षण-11-उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी ,लखनऊ के निम्नलिखित मानक मदों/उपशीर्षों में सम्मुख

अंकित धनराशि माह सितम्बर,2017 से मार्च,2018 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| उपशीर्ष मद का नाम | वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए प्रावधानित आय-व्ययक /अनुदान धनराशि | शासनादेश दिनांक 11-05-2017 द्वारा 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति । | वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अवशेष 07 माह के लिए वित्तीय स्वीकृति (2-3) |
|--------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -31सहायता अनुदान (वेतन) समान्य | 3 90 84000/- | 1 77 76 250/- | 213 07 750/- |
| | 3 90 84000/- | 1 77 76 250/- | 213 07 750/- |

(रू0- दो करोड़ तेरह लाख सात हजार सात सौ पचास मात्र)

2- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जाएगा।

3- निनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत /उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2017-2018 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नहीं की जाएगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जाएगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा तैयार किया जाएगा एवं उक्त बिल को उपसचिव नियुक्ति विभाग क्षद्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा किया जाएगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिनल मामलों में बजट मैनुअल /फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उन्हें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाए।

- 6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आबंटित /वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस'18/94 दिनांक 6 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए934/दस-2008 मित -1/2007 दिनांक 02-9-2008 का विशेष रूप अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा, किसीभी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/डाकखाने में जमा नहीं की जाएगी ।
- 9- 30प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग भीतर रखा जाना महानिदेशक, 30प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम0-13 के प्रपृ नियमित रूप प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ (वित्त-नियंत्रण) अनुभाग'5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
- 10- अनुदान संख्या-19 अनुदान संख्या- 19 के लेखाशीर्षक -2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं -आयोजनेत्तर -003-प्रशिक्षण-11-30प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी ,लखनऊ के उपशीर्ष -31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में 07 माह (सितम्बर से मार्च,2018) के व्यय हेतु रू0-2,13,07,750/- (रू0- दो करोड़ तेरह लाख सात हजार सात सौ पचास मात्र) मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जाएगा।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 07 /2017/1898/47-का-3-2017-24/15/2016तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एव हकदारी)प्रथम /द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद ।
- 2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम /द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद ।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- उपसचिव,(नियुक्ति अनुभाग)-9 उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0 शासन ।
- 7- वित्त (व्यय- नियंत्रण)अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
- 7- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमार राघवेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव ।